

AMG-II (Non-PSU)/निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/27/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** के माह **08/2019** से माह **08/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, स.ले.प.अ. (तदर्थ) द्वारा दिनांक **19.09.2020** से **01.10.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-1

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **27.08.2019** से **06.09.2019** तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **08/2016** से **07/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **08/2019** से **08/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:- इकाई द्वारा सीवर लाइन, प्रेशर मेन, एस.पी.एस. एवं एस.टी.पी. बनाये जाने सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं। इकाई द्वारा मात्र हरिद्वार नगर के कार्य सम्पादित कराये जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधि क्य	आवंटन	व्यय	
2018-19	8.999	29.462	480.936	470.542	19.393	8203.212	6242.513	1990.161
2019-20	19.393	1990.161	449.127	436.713	31.807	701.595	1912.001	779.755
2020-21 (Upto 08/2020)	31.807	779.755	114.565	110.556	35.816	2.289	609.165	172.879

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2018-19			2019-20			2020-21 (Upto 08/2020)		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
JnNURM	22.503	480.550	461.910	41.143	1.050	7.794	34.399	0.203	17.318
NAMAMI GANGE	0.100	7432.392	5487.674	1944.818	399.920	1619.307	725.431	0	579.038
AMRUT	6.859	290.270	292.929	4.200	300.625	284.900	19.925	2.086	12.809

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा सीवर लाइन, प्रेशर मेन, एस.पी.एस. एवं एस.टी.पी. बनाये जाने सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई "ब" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:- सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता→महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता→परियोजना प्रबन्धक/अधिशाली अभियन्ता→परियोजना अभियन्ता/सहायक अभियन्ता→अपर परियोजना अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता→सहायक परियोजना अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता।

(ii) लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:- लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा सीवर लाइन, प्रेशर मेन, एस.पी.एस. एवं एस.टी.पी. से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों / योजनाओं की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 (व्यय) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। सीवर लाइन, प्रेशर मेन, एस.पी.एस. एवं एस.टी.पी. से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों / योजनाओं का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग- II (ब)

प्रस्तर 1: बिना Hydraulic Testing किए राईसिंग मेन लाइन पर रु 500.41 लाख का अनियमित भुगतान।

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा "I&D works in zone – F contributing to STP Sarai in Haridwar" कार्य हेतु रुपये 3146.19 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2017 में प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य के सम्पादन हेतु महाप्रबंधक निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, हरिद्वार द्वारा ठेकेदार "M/s R.K. Engineers sales Ltd. & M/s Viddut Kumar Jain (लखनऊ)" के साथ रुपये 1926.65 लाख का अनुबंध संख्या – 04/GM/2017-18 दिनांक – 25.08.2017 को गठित किया गया था। कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार के अभिलेखानुसार उक्त कार्य रुपये 1787.07 लाख के व्यय उपरान्त दिनांक – 24.02.2019 को पूर्ण किया जा चुका था।

उक्त अनुबंध के अंतर्गत निम्नलिखित प्राविधान किए गए थे:

क्लॉज़ – 4.33.1 - *"All the civil construction and pipeline materials & fittings supplied (other than the materials provided by Uttarakhand Peyjal Nigam) shall be got tested, prior to installation, through IIT, Roorkee/ Sri Ram Institute of Industrial research, Delhi or any other institution of repute designated by the Engineer/ Employer, by the Contractor at his own expense."*

क्लॉज़ – 4.33.3 - *"All the sewer lines laid along with their appurtenant works shall have to be hydraulically tested by the contractor for detection of any seepage/ leakages and their due performance under the required test conditions, in isolated sections to be determined by the engineer, during process of the works or after their completion. Such hydraulic testing shall be performed by the contractor in presence of the engineer or his authorized representative in the required manner and as per the specifications set out in the Specifications of Works including all necessary arrangements and supply of required equipments at his own cost. Hydraulic testing shall be deemed to be satisfactorily accomplished, only when it is duly signed/ countersigned by the Engineer."*

क्लॉज़ – 4.33.4 - *"Execution of any water retaining structure or pipeline work with appurtenant structures shall be deemed to be completed only after their satisfactory completion, followed by their hydraulic testing as per the provisions of Sub Cl.33.3 above."*

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार के अभिलेखो की लेखापरीक्षा जाँच (माह-09/2020) में पाया गया था कि उक्त अनुबंध के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा कुल 5275.50¹ मीटर राईसिंग मेन लाईन बिछाने का कार्य किया गया था जिसमे से 1361.500 मीटर

¹ DI K-9 Pipe (500mm) – 3181.00 m

DI K-9 Pipe (600mm) – 733.00 m

DI K-9 Pipe (600mm) – 1361.500m (Supplied from division store)

DI (K-9) पाईप जोकि विभाग द्वारा वर्ष 2009 में क्रय किया गया था की आपूर्ति इकाई द्वारा ठेकेदार को की गयी थी। अनुबंध की उपरोक्त वर्णित क्लॉज़ (33.3) के अनुसार ठेकेदार द्वारा राईसिंग मेन लाईन बिछाये जाने के बाद मेन लाईन की Hydraulic Testing की जानी चाहिए थी तथा Hydraulic Testing में सफल पाये जाने के पश्चात ही मेन लाईन के कार्य को पूर्ण माना जाना था। परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि ठेकेदार द्वारा राईसिंग मेन लाईन बिछाये जाने के दौरान या मेन लाईन बिछाये जाने के पश्चात मेन लाईन की Hydraulic Testing नहीं करायी गयी थी जिसके अभाव में बिछायी गयी राईसिंग मेन लाईन की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था तथा उक्त मद के सापेक्ष ठेकेदार को किया गया रु 504.41 लाख का भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि बिछायी गयी राईसिंग मेन लाईन के समस्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त SPS² से सीवर पम्प करने के उपरान्त कोई भी leakage दृष्टिगत नहीं हुई तथा अतिथि तक भी कोई leakage नहीं पायी गयी है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की क्लॉज़ (33.3) के अनुसार ठेकेदार द्वारा राईसिंग मेन लाईन बिछाये जाने के बाद मेन लाईन की Hydraulic Testing अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए थी। Hydraulic Testing में सफल पाये जाने के पश्चात ही मेन लाईन के कार्य को पूर्ण माना जाना चाहिए था तथा भुगतान किया जाना चाहिए था परंतु विभाग द्वारा Hydraulic Testing किए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया था जोकि अनियमित था।

अतः विभाग बिना Hydraulic Testing किये ठेकेदार को किये गये रु 504.41 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

² Sewage pumping Station

भाग- II (ब)

प्रस्तर:2 – निगम द्वारा 14 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत एन.पी.एस. योगदान (Contribution) किये जाने से कर्मचारियों को रु. 217621/- की धनराशि के अंशदान के लाभ से वंचित रहना।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी, में 01.10.2005 से समस्त नई भर्तियों पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 41 दिनांक 31.01.2019 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान दिनांक 01 अप्रैल 2019 से वेतन और महगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।

उक्त के तर्ज पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 169/42/XXVII(10)/2018/2019 के बिन्दु संख्या-4 द्वारा निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 में की गयी व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत वेतन और महगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था/ निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जायेगा।

इकाई में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के अंशदान तथा नियोक्ता द्वारा दिये गए अंशदान से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नियोक्ता अंशदान के रूप में निम्नानुसार रु. 217621/- कम धनराशि उनके PRAN के सापेक्ष जमा कराये जाने हेतु मुख्यालय को प्रेषित की गई थी:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम	कर्मचारी का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान		
		01.04.2019 से 31.08.2020 तक	जो दिया जाना था (@14%)	जो दिया गया (@10%)	अन्तर
1.	श्रीमती दीक्षा नौटियाल, (परियोजना)	124955.00	174937.00	124955.00	49982.00
2.	श्री प्रवेश कुमार (अपर परियोजना)	131408.00	183971.20	131408.00	52563.20
3.	श्री सुधीर कुमार (अपर परियोजना)	111050.00	155470.00	111050.00	44420.00
4.	श्री धन सिंह नेगी (वर्क एजेन्ट)	43203.00	60484.20	43203.00	17281.20

5.	श्री शिवांक सैनी (वर्क एजेन्ट)	38439.00	53814.60	38439.00	15375.60
6.	श्रीमती सावित्री देवी (वर्क मुंशी)	40189.00	56264.60	40189.00	16075.60
7.	श्रीमती बेबी (रनर)	39023.00	54632.20	39023.00	15609.20
8.	श्री पोपिन (स्वच्छकार)	15785.00	22099.00	15785.00	6314.00
कुल		544052.00	761672.80	544052.00	217620.80

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निगम द्वारा 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक 14 प्रतिशत का अंशदान न देकर 10 प्रतिशत ही दिया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को संस्था से मिलने वाले 4 प्रतिशत के अतिरिक्त अंशदान एवं उस पर देय लाभ से वंचित रहना पड़ा।

इकाई द्वारा इस विषय में पूछे जाने पर बताया गया कि इस संबंध में पेयजल निगम मुख्यालय से आदेश अप्राप्त है, आदेश उपलब्ध होने पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लगभग 18 माह व्यतीत होने के बावजूद भी इस संबंध में मुख्यालय से कोई पत्राचार भी नहीं किया गया न तो अपने स्तर पर कोई कार्यवाही की गयी।

अतः निगम द्वारा 14% के स्थान पर 10% एन.पी.एस. योगदान किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों को रु. 217621/- की धनराशि के अंशदान के लाभ से वंचित रहने का कम प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण निम्नवत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
62 / 2004-05	01	01, 02	शून्य
61 / 2005-06	01	01, 02	शून्य
27 / 2006-07	01, 02	-	शून्य
03/2007-08	-	01,02,03	शून्य
32 / 2009-10	01, 02	-	शून्य
34 / 2010-11	-	01	शून्य
74 / 2014-15	शून्य	02,04	शून्य
97/2019-20	01	01 से 08	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा विगत प्रस्तारों की अनुपालन आख्या इकाई के पत्रांक संख्या 1152/AIR-97/2019-20/03 दिनांकित 07.07.2020 को महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), हरिद्वार के माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।				

भाग - IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य
भाग - V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i) }
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ: **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
04.	श्री आर.के. जैन	परियोजना प्रबन्धक	01.08.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/06 दिनांकित 06.10.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)